


न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मो प्र० गवालियर

(159)

2 U6U-PBZ-17.



मदन वल्द मगरया गोली

2 कैलाश वल्द मगरया गोली

दोनो निवासी तरोडाकला

तह० मुलताई जिला बैतूल..... आवेदकगण / याचिकाकर्ता

विरुद्ध

केदारनाथ वल्द लीलधर यदुवंशी

निवासी तरोडाकला तह० मुलताई जिला बैतूल..... अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मोप्र० भू राजस्व संहिता

आवेदक यह याचिका माननीय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालयीन प्र० को 230/अपील/15-16 आदेश दिनांक 27.10.16 जो उत्पन्न अनु० अधिकारी मुलताई के राओप्र०को 15बी/121/15-16 आदेश दि० 01.03.16 एवं तहसीलदार आमला के न्यायालय के राओप्र०को बी/121/14-15 आदेश दिनांक 24.08.15(19.10.15) से हुई है के विरुद्ध निम्न तथ्यो व आधारो पर पेश है प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है—

Reader to Colle.

9/10/2017

O.S.
वारंवटारट, होशंगाबाद

231.17

R1493-PB2/17 कंटर

28.8.2017

आवेदकारी को ओर है
मी आगे इस्तो आवेद अधिनियम
उपलब्ध है। उनके बारा उकाल रही
वर्षाने का अनुतोक्त किया गया।
अनुतोक्त खोकार किया जाता है।
कुकाल रही वर्षाने के बारो समाप्त
किया जाता है।

अद्यता

शास्त्रमुग्वा—181 प्रपत्र—29-8-16-30,000 प्रपत्र.

[Signature]

✓ चला गया
नोटर 28/8/2017
अद्यता 29/8/2017
29/8/2017